REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 11 | ISSUE - 6 | MARCH - 2022

छत्तीसगढ़ राज्य में तेन्दूपत्ता संग्राहकों के लिये लागू की गयी प्रमुख योजनाओं का मूल्यांकन

मनहरण अनंत
सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य)
शासकीय नवीन महाविद्यालय जटगा, जिला– कोरबा (छत्तीसगढ़)

प्रस्तावना :–

वन मानवीय सभ्यता का साध्य एवं सभ्यता विकास की शरणस्थली रही है। वनों के बिना जीवधारियों के अस्तित्व की कल्पना निरर्थक है, क्योंकि प्राणवायु का प्रमुख स्रोत पेड़–पौधे ही होते हैं। हालांकि सभ्यता विकास के साथ–साथ वनों पर निर्भरता में कमी आयी है, तथापि यह अब भी लाखों भारतीयों की शरणस्थली बनी हुयी है। भारत के 1.73 लाख वनग्राम है जो जंगल या उसके आसपास स्थित है जिसमें 35 से 40 करोड़ लोग अपनी आजीविका के लिये इन वनों पर निर्भर है। भारत में 5 करोड़ से अधिक लोग गैर–लकड़ी वनोत्पाद एवं उनसे होने वाले आय पर प्रत्यक्ष रुप से निर्भर है। पूरी दूनिया के लगभग 80 प्रतिशत लोग विकासोन्मुखी देशों में निवासरत है जो अपने पोषण एवं स्वास्थ्य के लिये गैर–लकड़ी वनोत्पाद (NTFP) पर आश्रित हैं। भारत विविधता वाला देश है जहॉ की भारी आबादी वनों या उसके आसपास निवास करती है जो अपनी आजीविका के लिये वनों की पारिस्थितिकी तंत्र पर आश्रित है। भारत में 27 प्रतिशत से अधिक आबादी वृक्षों की विभिन्न प्रजातियों पर अपनी जीविकोपार्जन एवं अस्तित्व के लिये आश्रित हैं। वृक्ष पर्यावरण के साथ सामाजिक–आर्थिक स्थिरता का प्रतीक है। परंपरागत तौर पर वृक्ष का मुख्यतः 6 फायदे को '6 फ' में रुप में चिन्हांकित किया गया है, ये हैं– भोजन, फल, चारा, इंधन, खाद और फाइबर (Food, Fruits, Fodder, fuel, Fertilizer, and Fibre) देश में वनों एवं वृक्ष आवरण 80.9 मिलियन हेक्टेयर है जो भारत की कुल भौगोलिक सीमा का 24.62 प्रतिशत है। वनों से प्राप्त होने वाले संसाधनों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है– लकड़ी एवं गैर–लकड़ी वनोत्पाद (NTFP). भारत की लगभग 8 प्रतिशत एवं छत्तीसगढ़ की 32 प्रतिषत आबादी जनजातियों की है जिनमें से अधिकांश जनजाति वनों में निवास करती है। इनमें से 7 विशेष पिछड़ी जनजाति सहित कुल 42 प्रकार के जनजाति छत्तीसगढ़ में निवास करतें हैं। गैर–लकड़ी वनोत्पाद (NTFP) का संग्रहण वनवासियों का परंपरागत व्यवसाय एवं आजीविका का साधन है। गैर–लकड़ी वनोत्पाद जो व्यावसायिक महत्व का है, मुख्यतः लघु वनोपज के नाम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य शासन के द्वारा त्रिस्तरीय सहकारी समितियों के माध्यम से खरीदी की जाती है, जिसमें राज्य स्तर पर, छ.ग. राज्य लघुवनोपज संघ, वन मंडल या जिला स्तर पर जिला वनोपज सहकारी संघ एवं गांव या गांवों के समूह में प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति कार्यरत है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में शीर्ष संस्था (Apex Body) के रुप में एक छ.ग. राज्य लघुवनोपज संघ, वन मंडल या जिला स्तर पर 31 जिला वनोपज सहकारी संघ एवं 902 प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति कार्यरत है।

छत्तीसगढ़ राज्य में 44 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रों में वन भूमि होने के कारण प्रचुर मात्रा में लकड़ी एवं गैर–लकड़ी वनोत्पाद प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं, जिससे राज्य की लगभग 12.50 लाख लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है, जिनमें से अधिकांश गरीब व अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत आते हैं।[9] तेन्दूपत्ता संग्रहणकर्ताओं की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति के लिये राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर विभिन्न योजनाएँ चलायी जाती है। इसके अंतर्गत वनोपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर सहकारी समितियों एवं वन विभाग के संयोजन से इनकी खरीदी की जाती है। तेन्दूपत्ता खरीदी सीजन 2020–21 के लिये 4000 रूपये मानक बोरा का दर तय किया गया है। इसमें समय–समय पर लगातार वृद्धि की जा रही है। छत्तीसगढ़ के द्वारा तेन्दूपत्ता संग्राहकों के कल्याण के गैर–व्यावसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति योजना, व्यावसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति योजना, मेघावी छात्र–छात्राओं को पुरस्कार योजना, प्रतिभाशाली छात्र–छात्राओं के लिये शिक्षा अनुदान योजना, शहीद महेन्द्र कर्मा तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना, समूह बीमा आदि योजना चला रही है।

साहित्य का अवलोकन :–

गैर–लकड़ी वनोत्पाद (NTFP) क्षेत्र रोजगार का विष्वसनीय एवं नवीनीकृत साधन है किंतु गोदाम का अभाव, मजदूरी का निम्न दर, प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्द्धन के अभाव के कारण यह क्षेत्र उपेक्षा का शिकार रहा है, यह एक गंभीर चुनौती है। वनवासियों की परंपरागत ज्ञान को सहेजकर रखना चाहिए, स्वयं सहायता समूह एवं सहकारी संस्था के माध्यम से संगठित उत्पादन एवं विपणन को प्रोत्साहित करें, गैर–लकड़ी वनोत्पाद (NTFP) आधारित कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करना चाहिए। Chavan, (2016) तेन्दूपत्ता अपने लगातार जलने के गुण के कारण यह बीड़ी बनाने का काम आता है, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में लोकल सिगरेट कहा जाता है। तेन्दूपत्ता संग्रहण के समय आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण कई संग्राहकों के द्वारा तेन्दू वृक्ष के पूरे शाखा को ही पेड़ से काटकर अलग कर दिया जाता है, ऐसे अनैतिक कार्यो को नियंत्रित करने की जरुरत है। कई संग्राहकों को तेन्दूपत्ता तोड़ना नही आता है, अतः बेहतर संग्रहण के लिये उन्हे प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तेन्दूपत्ता प्रक्रियात्मक एवं विक्रय तकनीक को सुदृढ़ बनाना चाहिए जिससे इसके पैकिंग व परिवहन के समय कम से कम नुकसान हो। Boaz, A. A. (2004) क्षेत्रीय स्तर पर वाणिज्यिक प्रसंस्करण और उच्च तकनीक मुल्यवर्धन प्रौद्योगिकियों की स्थापना की जानी चाहिए। गैर–लकड़ी वनोत्पाद आधारित आजीविका सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वन आश्रित समुदायों की के लिये राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना किया जाना चाहिए। इसके माध्यम से डेटा जो की वर्तमान में ज्यादातर बिखरा हुआ है, का भी एकत्रीकरण कर राष्ट्रीय डेटाबेस का स्थापना करना चाहिए। Chauhan, K. V. S.(2008) ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि के लिये संरक्षा निधि को तेन्दूपत्ता जैसे गैर–लकड़ी वनोत्पाद के विकास विनियोग एवं अन्य आय के साथ संयुक्त करना, कृषि उत्पादकता, आर्थिक गतिविधि आजीविका एवं सामाजिक संबंधों का एक नयी शुरूआत है। सहभागी प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण को अधिक मजबूत किया जाये, ताकि राज्य के वनों की सुरक्षा और विकास सुनिष्चित किया जा सके। Debnath, D. (2006)

शोध प्रविधि :–

तेन्दूपत्ता संग्राहकों के लिये लागू की गयी प्रमुख योजनाओं के मूल्यांकन के लिये प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों समंकों का उपयोग किया गया है; प्राथमिक समंक के अंतर्गत कोरबा जिले के दोनों वनमंडल कोरबा व कटघोरा के अंतर्गत आने वाले 5 विकासखंडों के 838 तेन्दूपत्ता संग्राहकों से प्रश्नावली एवं साक्षात्कार के माध्यम से आंकड़े जुटाये गये हैं। इसी प्रकार द्वितीयक समंक के लिये छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के 2014 से 2020 तक के वार्षिक आमसभा प्रतिवेदन, जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, कटघोरा व कोरबा के 2014 से 2020 तक के वार्षिक प्रतिवेदन का सहारा लिया गया है। वर्ष 2014 से 2020 तक के निस्तार पत्रिका, तेन्दूपत्ता संग्रहण निर्देषिका एवं जिला सांख्यिकी पुस्तिका, कोरबा के साथ संदर्भ सूची में उल्लेखित शोध–पत्रों, आलेखों, पुस्तिका का भी यथा स्थान पर प्रयोग किया गया है। उपरोक्त प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के लिये सांख्यिकी माध्य एवं प्रतिशत के साथ आंकड़ों के सरल प्रस्तुतिकरण के लिये पाई चार्ट व ग्राफ का यथा स्थान प्रयोग किया गया है। आंकड़ों के संग्रहण के लिये 2015

से 2020 तक कोरबा जिले के दोनो वन मंडलों के अंतर्गत आने वाले 82 प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के सदस्यों में से यादृच्छिक आधार पर चयन किया गया, अन्य जिलों व समयावधि में उच्चावचन की संभावना है।

शोध परिकल्पना :–

1. ज्यादातर संग्राहकों को शासन द्वारा लागू की गयी योजनाओं के बारे में जानकारी नही है।
2. तेन्दूपत्ता संग्रहण, संग्राहकों के आजीविका का प्रमुख साधनों में से एक है।

तेन्दूपत्ता संग्राहकों के लिये लागू की गयी प्रमुख योजनायें :–

तेन्दूपत्ता संग्राहकों के लिये विभिन्न योजनायें लागू किया गया है; इन योजनाओं को तीन भागों में बांटा जा सकता है– बीमा योजनायें, शिक्षा प्रोत्साहन योजनायें एवं अन्य योजनाऐं।

बीमा योजनाओं के अंतर्गत प्रमुख योजनायें इस प्रकार है :–

शहीद महेन्द्र कर्मा तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना : यह योजना 05 अगस्त 2020 से लागू किया गया है, पहले यह बीमा योजना का नाम जनश्री बीमा योजना था, जिसे 01.05.2007 से शुरू किया गया था। दिनॉक 25 मई 2013 को झीरम घाटी में शहीद हुए प्रसिद्ध नेता व विधायक महेन्द्र कर्मा जी के नाम से इस योजना का नामकरण किया गया। वर्तमान में इसके अंतर्गत तेन्दूपत्ता संग्रहण में लगे परिवार के मुखिया जिनकी आयु 18 से अधिक हो किंतु 50 वर्ष से अधिक न हो, की सामान्य मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को 2,00,000 रूपये की सहायता राशि प्रदान किया जायेगा तथा दुर्घटना से मृत्यु होने पर 2,00,000 रूपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान किया जायेगा। दुर्घटना में पूर्ण निःशक्तता की स्थिति में 2,00,000 रूपये की तथा आंषिक निःशक्तता की स्थिति में 1,00,000 रूपये की सहायता प्रदान किया जाता है। तेन्दूपत्ता संग्रहण में लगे परिवार के मुखिया जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक हो किंतु 59 वर्ष से अधिक न हो, सामान्य मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को 30,000 रूपये की सहायता राशि प्रदान किया जायेगा तथा दुर्घटना से मृत्यु होने पर 75,000 रूपये की सहायता प्रदान किया जायेगा। दुर्घटना में पूर्ण निःषक्तता की स्थिति में 75,000 रूपये की तथा आंषिक निःशक्तता की स्थिति में 37,500 रूपये की सहायता प्रदान किया जाता है। इसके लिये आवश्यक है कि कम से कम विगत दो वर्षों से संग्रहण कार्य कर रहा हो एवं न्यूनतम 500 गड्डियों का संग्रहण किया हों। इसके लिये मात्र 11 रूपये का प्रीमियम निर्धारित किया गया है।

समूह बीमा योजना :– यह बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा जीवन बीमा योजना के नाम से भी जाना जाता है, पहले इस योजना का नाम अटल तेन्दूपत्ता संग्राहक समूह बीमा योजना था। इस बीमा योजना का यह नया स्वरूप 01 मार्च 2018 से लागू किया गया है, इस बीमा योजना के अन्तर्गत मुखिया के अतिरिक्त परिवार के 18 से 59 वर्ष के मध्य के अन्य सदस्य की मृत्यु होने पर रूपये 12,000 रूपये की सहायता राशि प्रदाय किया जाता है।

शिक्षा प्रोत्साहन योजनायें :– राज्य़ शासन के द्वारा तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के बच्चों हेतु शिक्षा प्रोत्साहन योजना स्वीकृत की गई है। इस योजना हेतु पात्र छात्र–छात्राओं का चयन प्रत्येक वर्ष प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति स्तर पर किया जायेगा। इस योजना को 4 भागों में बांटा गया हैं :

व्यावसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति :– प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति स्तर पर प्रत्येक वर्ष एक विद्यार्थी का चयन छात्रवृत्ति हेतु किया जावेगा, जिसने कि किसी भी राज्य या केन्द्र शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में किसी भी व्यवसायिक कोर्स जैसे– इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, एम.बी.ए., नर्सिंग आदि कोर्स में प्रवेश लिया हो तथा जिस कोर्स में प्रवेश की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12वीं हो व कोर्स की अवधि न्यूनतम एक वर्ष हो, इन सभी कोर्स के विद्यार्थी इस योजना के अधीन पात्र है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी को प्रथम वर्ष में रूपये 10,000 रूपये एवं द्वितीय तथा पश्चात्वर्ती वर्षों में रूपये 5,000 रूपये प्रतिवर्ष, अधिकतम कुल चार वर्षों में राशि उपलब्ध करायी जावेगी। आधे वर्ष हेतु रूपये 2,500 रूपये की राशि स्वीकृत की जायेगी। एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर ऐसे विद्यार्थी का चयन किया जावेगा, जिसने कि कक्षा 12 वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त किये हो।

व्यावसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति योजना
तालिका क्रमांक : 1

	कटघोरा		कोरबा		योग	
वर्ष	विद्यार्थियों की संख्या	भुगतान राशि	विद्यार्थियों की संख्या	भुगतान राशि	कुल विद्यार्थियों की संख्या	कुल भुगतान राशि
2015-16	20	180000	17	125000	37	305000
2016-17	14	115000	18	125000	32	240000
2017-18	19	165000	19	160000	38	325000
2018-19	22	185000	15	115000	37	300000
2019-20	14	95000	14	110000	28	205000

स्रोत :– जिला वनोपज सहकारी वनोपज कोरबा व कटघोरा का वार्षिक प्रतिवेदन 2014 से 2020

वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक उक्त व्यावसायिक कोर्स हेतु भुगतान की गयी छात्रवृत्ति में उच्चावचन दृष्टिगोचर होता है । उक्त छात्रवृत्ति के भुगतान में कभी कोरबा तो कभी कटघोरा वन मंडल आगे रहा। वृहद जिले के हिसाब से इसकी संख्या काफी कम है, एक कारण इन वर्गो में व्यावसायिक कोर्स के प्रति जागरूकता की कमी, अशिक्षा व अधिक पाठ्यक्रम शुल्क हो सकता है। साथ ही एक योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति लेने से अन्य योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति नही मिलता है।

गैर–व्यावसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति :– तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों हेतु गैर व्यावसायिक स्नातक शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति में प्रत्येक वर्ष तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के एक पुत्र व एक पुत्री का चयन किया जाता है, जिसने राज्य या केंद्र शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी भी स्नातक कोर्स में प्रवेश लिया हो। छात्र–छात्रा को कोर्स के प्रथम वर्ष में रूपये 5,000 रूपये द्वितीय वर्ष में रूपये 4,000 रूपये एवं तृतीय वर्ष में रूपये 3,000 रूपये अर्थात तीन वर्षों में कुल रूपये 12,000 रूपये की अनुदान राशि उपलब्ध करायी जाती है। प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति में छात्र व छात्रा वर्ग में एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर ऐसे विद्यार्थी का चयन किया जाता है, जिसमें कि कक्षा 12वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त किया हो। अनुदान का भुगतान प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी द्वारा कोर्स से संबंधित वर्ष के प्रवेश शुल्क के भुगतान के उपरांत प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के द्वारा सीधे बैंक खाते के द्वारा ही किया जाता है।

गैर व्यावसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति योजना
तालिका क्रमांक : 2

	कटघोरा		कोरबा		योग	
वर्ष	विद्यार्थियों की संख्या	भुगतान राशि	विद्यार्थियों की संख्या	भुगतान राशि	कुल विद्यार्थियों की संख्या	कुल भुगतान राशि
2015-16	100	472000	73	315000	173	787000
2016-17	102	471000	75	331000	177	802000
2017-18	105	469000	85	388000	190	857000
2018-19	124	550000	104	452000	228	1002000
2019-20	123	523000	110	470000	233	993000

वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक उक्त गैर व्यावसायिक कोर्स हेतु भुगतान की गयी छात्रवृत्ति इन 5 वर्षों में लगभग एक समान रही है, क्योंकि प्रत्येक परिवार से अधिकतम दो अर्थात प्रत्येक प्राथमिक वनोपज समिति से अधिकतम चार ही विद्यार्थी का चयन किया जाता है। फिर भी इन 5 वर्षों में कटघोरा वन मंडल में लगभग 23 प्रतिषत व कोरबा वन मंडल में लगभग 50 प्रतिषत की वृद्धि हुआ है।

मेघावी छात्र–छात्राओं को पुरस्कार :– प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष कक्षा 8वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को रूपये 2,000 रूपये, कक्षा 10वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को रूपये 2,500 रूपये तथा कक्षा 12वीं सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को रूपये 3,000 रूपये पुरस्कार राशि दी जावेगी। यह पुरस्कार छात्र तथा छात्रा वर्ग में पृथक–पृथक दिये जावेंगें। इस प्रकार इस योजना पर प्रत्येक प्राथमिक समिति में प्रति वर्ष 15,000 रूपये राशि व्यय होगी। चयनित छात्र–छात्रा को बैंक खाते के द्वारा भुगतान किया जायेगा।

मेघावी छात्र–छात्राओं को पुरस्कार वितरण की जानकारी
तालिका क्रमांक : 3

	कटघोरा		कोरबा		योग	
वर्ष	विद्यार्थियों की संख्या	भुगतान राशि	विद्यार्थियों की संख्या	भुगतान राशि	कुल विद्यार्थियों की संख्या	कुल भुगतान राशि
2015-16	264	660000	192	479500	456	1139500
2016-17	264	660000	202	505500	466	1165500
2017-18	264	660000	210	524500	474	1184500
2018-19	264	660000	216	538500	480	1198500
2019-20	172	472500	148	406500	320	879000

इन दुरस्थ व ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रतिभा की कमी नही है। उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 2015–16 से 2018–19 तक इन चार वर्षों में लगभग बराबर छात्रों को प्रोत्साहित किया गया। पांचवे वर्ष में लगभग 34 प्रतिषत की कमी आई है ये कमी कोरोना के कारण हो सकता है।

तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए भी प्रोत्साहन योजना :– तेंदूपत्ता संग्राहकों के समस्त प्रतिभाशाली बच्चों को 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को 15000 रूपये तथा कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को 25000 रूपये दिया जावेगा। उक्त शिक्षा योजनाओं से प्राप्त आवेदनों पर विचार करने के लिए प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति स्तर पर निम्नानुसार सदस्यों की समिति का गठन किया गया है :–

1. प्राधिकृत अधिकारी — प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति
2. पोषक अधिकारी — प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति
3. प्रबंधक — प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति

उपरोक्त शिक्षा योजनाओं की पात्रता तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के पुत्र–पुत्रियों को होगी। वर्ष 2019–20 में योजना के लाभ हेतु संग्राहक परिवार उसको माना जावेगा, जिनके द्वारा विगत तीन वर्षों अर्थात् संग्रहण वर्ष 2016, 2017 एवं 2018 में, कम से कम तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 500 गड्डी तेन्दू पत्ता तोड़ा गया हो। छात्रवृत्ति योजना का लाभ द्वितीय तथा आगामी वर्ष में तब ही मिलेगा यदि विद्यार्थी के द्वारा विगत वर्ष की परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किये जावें तथा उसके परिवार के द्वारा न्यूनतम 500 गड्डी तेन्दू पत्ता संग्रहण किया जावें। यदि एक वर्ष में दो सेमेस्टर होते हैं तो दोनों सेमेस्टर में प्राप्त अंकों का योग कर प्रतिशत की गणना की जावेगी।

प्रतिभाशाली छात्र–छात्राओं के लिये शिक्षा अनुदान योजना की जानकारी
तालिका क्रमांक : 4

	कटघोरा		कोरबा		योग	
वर्ष	विद्यार्थियों की संख्या	भुगतान राशि	विद्यार्थियों की संख्या	भुगतान राशि	कुल विद्यार्थियों की संख्या	कुल भुगतान राशि
2015-16	97	1835000	79	1445000	176	3280000
2016-17	119	2195000	104	1910000	223	4105000
2017-18	161	2855000	123	2375000	284	5230000
2018-19	227	4405000	165	3005000	392	7410000
2019-20	338	5640000	234	3920000	572	9560000

इन वन आश्रित क्षेत्रों में भी प्रतिभा की कमी नही है। उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 2015–16 से 2019–20 तक इन पॉच वर्षों में प्रतिवर्ष प्रतिभाषाली बच्चों की संख्या में वृद्धि हुआ है। इन 5 वर्षो में लगभग 225 प्रतिषत की वृद्धि दर्ज हुआ है।

1. **अन्य योजनायें :–** उपरोक्त के अतिरिक्त तेन्दूपत्ता संग्राहकों लिये समय–समय पर अन्य कल्याणकारी योजनाओं संचालित की जाती है; जैसे– तेन्दूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण, न्यूनतम समर्थन मूल्य, चरण पादुका योजना आदि। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर संग्रहित तेन्दूपत्ता के लाभांश राशि का 80 प्रतिशत संग्राहकों को प्रोत्साहन परिश्रमिक के रूप में वितरण किया जायेगा। इसके अंतर्गत 2019 में 88460 संग्राहकों को 34.95 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया।

उपरोक्त योजनाओं के सुगम क्रियान्वयन की जानकारी, हितग्राहियों को इनकी जानकारी एवं लाभार्थियों तक पहुॅच के लिये प्राथमिक समंकों का संग्रहण किया गया। इन संग्रहित आंकड़ों का सार इसप्रकार है।

तेन्दूपत्ता संग्राहकों के लिये लागू प्रमुख योजनाओं के बारे में जानकारी :– तेन्दूपत्ता संग्राहकों के कल्याण के लिये लागू की गयी प्रमुख योजनाओं की जानकारी संबंधित हितधारकों को है या नही ? या उनमें जागरूकता को देखने के लिये यह आंकड़ा महत्वपूर्ण है।

ग्राफ क्रमांक : 1

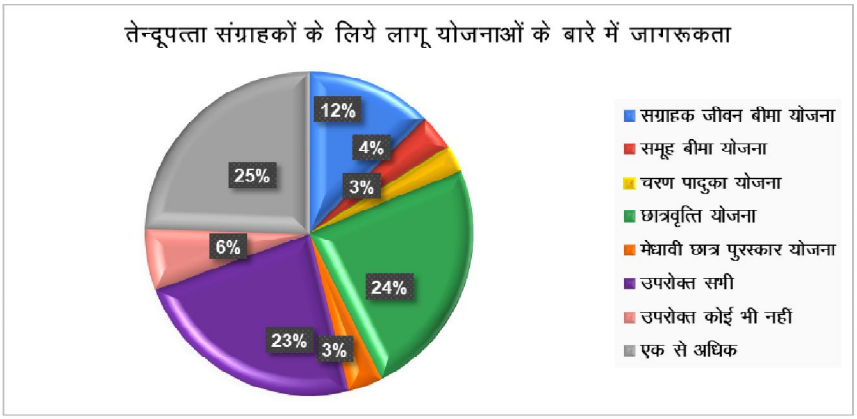

छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा तेन्दूपत्ता संग्राहकों व उनके परिवारों के लिये विभिन्न योजनाएॅ संचालित की जा रही है। इनमें से अधिकांश योजनाओं के बारे में संग्राहकों को जानकारी है किंतु अभी भी सभी संग्राहकों को इन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी नही है। उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर लगभग 12 प्रतिशत संग्राहकों को केवल संग्राहक जीवन बीमा योजना के बारे में जानकारी है, लगभग 4 प्रतिशत संग्राहकों को केवल समूह बीमा योजना की जानकारी है, लगभग 3 प्रतिशत संग्राहकों को केवल चरण पादुका योजना की जानकारी है,

लगभग 24 प्रतिषत संग्राहकों को केवल छात्रवृत्ति योजना की जानकारी है, लगभग 3 प्रतिशत संग्राहकों को केवल मेधावी छात्र पुरस्कार योजना की जानकारी है, लगभग 23 प्रतिशत संग्राहकों को उपरोक्त सभी योजनाओं की जानकारी है, किंतु लगभग 6 प्रतिशत संग्राहकों को कोई भी योजना की जानकारी नही है।

लगभग 25 प्रतिषत संग्राहकों को एक से अधिक योजनाओं की जानकारी है, इनमें 1 प्रतिशत संग्राहक को संग्राहक जीवन बीमा योजना व समूह बीमा योजना दोनों की जानकारी है, 1 प्रतिषत संग्राहक को संग्राहक जीवन बीमा योजना व चरण पादुका योजना की जानकारी है, 1 प्रतिशत संग्राहक को संग्राहक जीवन बीमा योजना व मेधावी छात्र पुरस्कार योजना की जानकारी है, 4.8 प्रतिशत संग्राहक को संग्राहक जीवन बीमा योजना, समूह बीमा योजना व छात्रवृत्ति योजना की जानकारी है, 4.2 प्रतिशत संग्राहक को संग्राहक जीवन बीमा योजना, छात्रवृत्ति योजना व मेधावी छात्र पुरस्कार योजना की जानकारी है, 4.10 प्रतिशत संग्राहकों को चरण पादुका योजना को छोड़कर अन्य सभी योजना की जानकारी है, 2.10 प्रतिषत संग्राहक को उपरोक्त चरण पादुका योजना व छात्रवृत्ति योजना की जानकारी है, 1.1 प्रतिषत संग्राहक छात्रवृत्ति योजना व मेधावी छात्र पुरस्कार योजना के बारे में जानते हैं, 2 प्रतिषत संग्राहक को चरण पादुका योजना, छात्रवृत्ति योजना एवं मेधावी छात्र पुरस्कार योजनायों की जानकारी है, 3.30 प्रतिषत संग्राहक को छात्रवृत्ति योजना व मेधावी छात्र पुरस्कार योजना दोनों की जानकारी है।

तेन्दूपत्ता संग्राहकों के लिये लागू प्रमुख योजनाओं के हितग्राहियों के बारे में जानकारी :–

राज्य शासन व छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित द्वारा लागू की गयी योजनाओं का लाभ सर्वे किये गये क्षेत्रों में कितने हितग्राहियों ने लिया है, यह जानने के लिये यह ग्राफ बहुत महुत्वपूर्ण है।

ग्राफ क्रमांक : 2

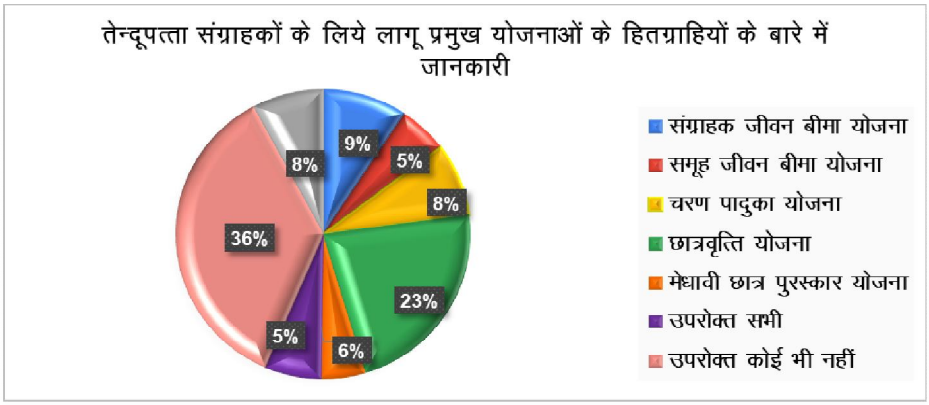

छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा तेन्दूपत्ता संग्राहकों व उनके परिवारों के लिये विभिन्न योजनाएँ संचालित की जा रही है और वे इन योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं, उक्त आंकड़ों के आधार पर हितग्राहियों की जानकारी इस प्रकार है। उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर लगभग 9 प्रतिशत संग्राहकों को केवल संग्राहक जीवन बीमा योजना का लाभ मिला है, लगभग 5 प्रतिषत संग्राहकों को केवल समूह बीमा योजना का लाभ मिला है, लगभग 8 प्रतिशत संग्राहकों को केवल चरण पादुका योजना का लाभ मिला है, लगभग 23 प्रतिषत संग्राहकों को केवल छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिला है, लगभग 6 प्रतिशत संग्राहकों को केवल मेधावी छात्र पुरस्कार योजना का लाभ मिला है, लगभग 5 प्रतिशत संग्राहक उपरोक्त सभी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, किंतु लगभग 36 प्रतिषत संग्राहकों को कोई भी योजना का लाभ अब तक नही मिला है।

लगभग 08 प्रतिषत संग्राहकों को एक से अधिक योजनाओं का लाभ मिला है, इनमें 1.10 प्रतिशत संग्राहक को संग्राहक जीवन बीमा योजना व समूह बीमा योजना दोनों का लाभ मिला है, 1.20 प्रतिषत संग्राहक को संग्राहक जीवन बीमा योजना व छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिला है, 1 प्रतिशत संग्राहक को संग्राहक जीवन बीमा योजना, समूह बीमा योजना व छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिला है, 1.70 प्रतिशत संग्राहक को संग्राहक जीवन बीमा योजना, समूह बीमा योजना, छात्रवृत्ति योजना व मेधावी छात्र पुरस्कार योजना का लाभ मिला है, 1.

10 प्रतिशत संग्राहक को समूह बीमा योजना, छात्रवृत्ति योजना व मेधावी छात्र पुरस्कार योजना का लाभ मिला है, 1 प्रतिशत संग्राहकों को समूह बीमा योजना, छात्रवृत्ति योजना व मेधावी छात्र पुरस्कार योजना का लाभ मिला है, लगभग 1 प्रतिशत छात्रवृत्ति योजना व मेधावी छात्र पुरस्कार योजना का लाभ मिला है।

तेन्दूपत्ता संग्रहण की निरंतरता के आधार पर तेन्दूपत्ता संग्राहकों का वर्गीकरण :– तेन्दूपत्ता का संग्रहण अधिकांश वन आश्रित लोगों के आजीविका का साधन है जो इसे लंबे समय से पीढ़ी दर पीढी करते आ रहें हैं।

ग्राफ क्रमांक : 3

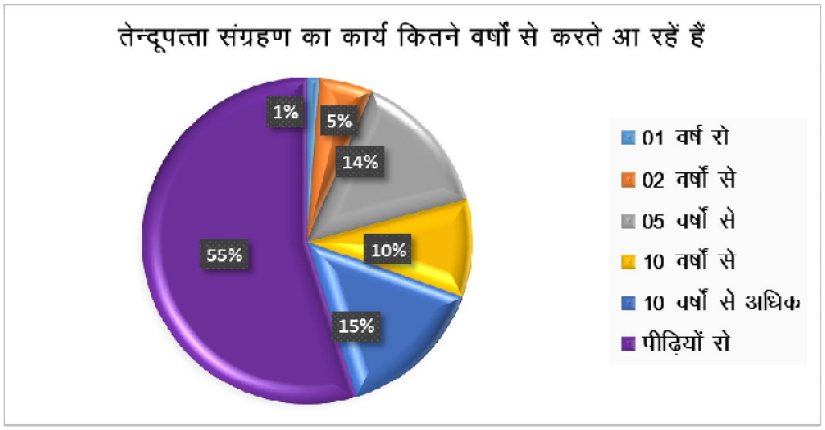

तेन्दूपत्ता संग्रहण का कार्य लोग वर्षों से करते आ रहे हैं। उक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि लगभग 01 प्रतिशत संग्राहक केवल 01 वर्ष से ही तेन्दूपत्ता का संग्रहण कर रहे हैं, लगभग 05 प्रतिशत 02 वर्षों से ही तेन्दूपत्ता का संग्रहण कर रहे हैं, लगभग 14 प्रतिषत 05 वर्षों से तेन्दूपत्ता का संग्रहण कर रहे हैं, लगभग 10 प्रतिशत 10 वर्षों से तेन्दूपत्ता का संग्रहण कर रहे हैं, लगभग 15 प्रतिशत संग्राहक 10 वर्षों से अधिक समय से तेन्दूपत्ता का संग्रहण का कार्य करते आ रहे हैं, किंतु लगभग 55 प्रतिशत तेन्दूपत्ता संग्राहकों का कहना है कि वे पीढ़ियों से तेन्दूपत्ता का संग्रहण करते आ रहे हैं।

तेन्दूपत्ता संग्रहण करने का उद्देश्य :– तेन्दूपत्ता का संग्रहण अधिकांश वन आश्रित एवं आसपास रहने वाले लोगों को आजीविका का साधन है जो इसे लंबे समय से पीढ़ी दर पीढी करते आ रहें हैं।

ग्राफ क्रमांक : 4

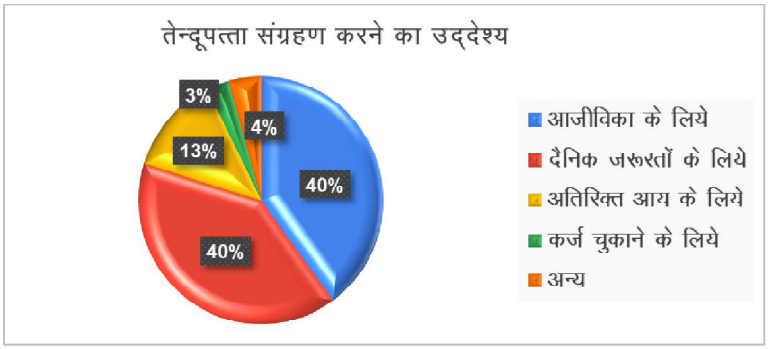

प्रत्येक संग्राहक तेन्दूपत्ता को अलग–अलग उद्देष्यों से संग्रह करते हैं। उक्त आंकड़ों के आधार पर लगभग 80 प्रतिशत संग्राहक अपने आजीविका एवं दैनिक जरूरतों के यह कार्य करते हैं, लगभग 13 प्रतिशत संग्राहक अतिरिक्त आय अर्जन करने के लिये, लगभग 03 प्रतिषत संग्राहक लिये गये कर्ज को चुकाने के लिये

एवं 04 प्रतिशत संग्राहक अन्य कारणों से संग्रहण कार्य करते है। उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि लगभग 80 प्रतिशत लोगों के लिये यह केवल आजीविका का साधन है जो उन्हे अल्पकालीन रोजगार प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष व सुझाव :– सरकार द्वारा तेन्दूपत्ता संग्राहकों एवं उनके आश्रितों सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिये विभिन्न कार्यक्रम चला रही है। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि लगभग 80 प्रतिशत संग्राहक अपने आजीविका एवं दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिये यह कार्य करते हैं। लगभग 75 प्रतिशत संग्राहक 10 वर्षों से अधिक अवधि से तेन्दूपत्ता का संग्रहण का कार्य करते आ रहे हैं, इनमें लगभग 55 प्रतिशत तेन्दूपत्ता संग्राहक तो ऐसे हैं जो पीढ़ियों से तेन्दूपत्ता का संग्रहण करते आ रहे हैं, अर्थात यह उनका परंपरागत व पारिवारिक उद्यम है। प्रचार प्रसार के बावजूद विभिन्न योजनाओं का लाभ इन हितग्राहियों तक नही पहुॅच पा रहा है। लगभग 6 प्रतिशत तेन्दूपत्ता संग्राहकों को उनके लिये चलाई जा रही कोई भी योजना की जानकारी नही है। लगभग 69.30 प्रतिशत संग्राहकों को सिर्फ एक ही योजना के बारे में जानकारी है। सिर्फ 25 प्रतिषत संग्राहकों को ही एक से अधिक योजनाओं की जानकारी है।

परिकल्पना परीक्षण :– लगभग 93.80 प्रतिशत संग्राहकों को उनके लिये लागू किये गये सभी योजनाओं की जानकारी नही है, अतः यह परिकल्पना सही स्थापित होता है कि ''ज्यादातर संग्राहकों को शासन द्वारा लागू की गयी योजनाओं के बारे में जानकारी नही है।'' इसीप्रकार लगभग 80 प्रतिषत तेन्दूपत्ता संग्राहक अपने आजीविका एवं दैनिक जरूरतों की पूर्ति के तेन्दूपत्ता का संग्रहण करते हैं, अतः यह परिकल्पना सही स्थापित होता है कि ''तेन्दूपत्ता संग्रहण, संग्राहकों के आजीविका का प्रमुख साधनों में से एक है।''

अतः संग्राहकों के लिये चलायी जा रही प्रमुख योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन के लिये निम्नलिखित सुधार की अनुषंसा की जाती है :–

1. छात्रवृत्ति योजना की संख्या को बढ़ाना चाहिए। वर्तमान में एक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति से केवल दो ही हितग्राहियों को लाभ मिल पाता है, जबकि एक समिति के अंतर्गत 8 से 10 गांव आते है, ऐसे में इन योजनाओं में प्रत्येक समिति से कम से कम 10 पात्र हितग्राहियों का चयन करना चाहिए। बेहतर होगा यदि इस अधिकतम की सीमा को समाप्त कर दिया जाए।
2. यदि कोई हितग्राही एक योजना का लाभ लेना चाहता है तो उन्हे अन्य विभाग के योजना से वंचित होना पड़ता है। जैसे किसी संग्राहक की जंगली जानवर के हमले के कारण मृत्यु होती है तो उसके नामिनी को वन विभाग द्वारा संचालित योजना या उक्त योजना में से किसी एक में से दावा का त्याग करना पड़ता है। चूंकि संग्राहकों द्वारा चलाई जा रही बीमा योजना के लिये प्रीमियम दिया जाता है अतः यह उनका अधिकार है एवं अन्य योजना द्वारा दी गयी राशि अनुदान या सहायता है, अतः दोनों का लाभ दिया जाना चाहिए।
3. इसी प्रकार कोई विद्यार्थी उपरोक्त गैर–व्यावसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति या व्यावसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति या मेघावी छात्र–छात्राओं को पुरस्कार या प्रतिभाशाली छात्र–छात्राओं के लिये शिक्षा अनुदान योजना का लाभ लेना चाहता है तो उन्हे श्रम विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग या अन्य विभाग द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति से वंचित होना पड़ता है। इस सीमा को समाप्त किया जाना चाहिए। अर्थात वह अपनी पात्रता के अनुसार विभिन्न छात्रवृत्ति योजना का लाभ ले सके।
4. छात्रवृत्ति, प्रोत्साहन या पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली राषि बहुत कम नाम मात्र का है जैसे– चिकित्सा, अभियांत्रिकी, फार्मेसी, नर्सिग आदि व्यावसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति की राशि प्रथम वर्ष में 10000 रूपये व उसके बाद मात्र 5000 रूपये है, जबकि यह एक–दो माह के फीस से भी कम है, यहॉ तक की एक वर्ष की पुस्तकें भी नही खरीदी जा सकती है। अतः इन राशियों में वृद्धि होना चाहिए।
5. मात्र 6.2 प्रतिशत हितग्राहियों को ही उनके लिये चलाई जा रही सभी योजनाओं की जानकारी है, सिर्फ 9. 90 प्रतिशत संग्राहको को ही तीन या उससे अधिक योजना के बारे में जानकारी है, अतः इन योजनाओं के बारे में जागरूकता लाने के लिये प्रचार–प्रसार करना चाहिए।

संदर्भ सूची :–

1. MoEF, Report of the National Forest Commission, Ministry of Environment and Forests, Government of India (Gol), 2006, p. 421.
2. MoEF, Asia-Pacific Forestry Sector Outlook Study II: India Country Report. Ministry of Environment & Forests, Government of India, Working Paper No. APFSOS IIAVP/2009/06, F AO, Bangkok, 2009, p. 78.
3. Hegde, R., Suryaprakash, S., Achoth, L., & Bawa, K. S. (1996). Extraction of non-timber forest products in the forests of Biligiri Rangan Hills, India. 1. Contribution to rural income. Economic Botany, 50(3), 243-251.
4. FAO, Non wood forest products, Food and Agricultural Organization, Rome, Italy, 2008.
5. Chavan, S. B., Keerthika, A., Dhyani, S. K., Handa, A. K., Newaj, R., & Rajarajan, K. (2015). National Agroforestry Policy in India: a low hanging fruit. Current Science, 1826-1834.
6. India State of Forest Report, 2021, https://fsi.nic.in/
7. https://ntfp.org/
8. Census 2011
9. छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ, वार्षिक प्रतिवेदन 2014 से 2020 :– 21
10. Chavan, S. B., Uthappa, A. R., Sridhar, K. B., Keerthika, A., Handa, A. K., Newaj, R., ... %& Chaturvedi, O. P. (2016). Trees for life: Creating sustainable livelihood in Bundelkhand region of central India. Current science, 994-1002.
11. Boaz, A. A. (2004). Case study of tendu leaves (Diospyros melanoxylon) in Harda district, Madhya Pradesh, India. Forest Products, Livelihoods and Conservation: case studies of non-timber forest product systems. volume 1-Asia, 287.
12. तेन्दूपत्ता संग्रहण निदेषिका 2014 से 2020
13. छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग निस्तार पत्रिका कोरबा व कटघोरा वन मंडल 2020
14. जिला सांख्यिकी पुस्तिका, जिला :– कोरबा 2014 :– 15 से 2020 :– 21
15. जिला वनोपज सहकारी यूनियन कोरबा व कटघोरा का वार्षिक प्रतिवेदन 2014 :– 15 से 2020 :– 21
16. Chauhan, K.V.S., Sharma, A. K.,& Kumar, R. (2008). Non-timber forest products subsistence and commercial uses: trends and future demands. International Forestry Review, 10(2
17. Case study of tendu leaves Debnath, D., %& Dasgupta, S. (2006). Livelihood generation and poverty reduction attempts in Joint Forest Management activities in Madhya Pradesh. International Forestry Review, 8(2), 241-250.